

# नगर निगम, पाली

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अंतर्गत)

--:अनापति प्रमाण पत्र:-

आवेदन नं. : LSG/PALI/FIRENOC/2025-26/62540

जारी दिनांक : 21-AUG-2025

वैधता दिनांक : 20-AUG-2026

प्रेषित :- 'द' विंग्स ग्लोबल स्कूल, शिव नगर, आगेवा रोड़, जैतारण

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती

: श्री तुलसा राम

आवेदक का पता

: 'द' विंग्स ग्लोबल स्कूल, शिव नगर, आगेवा रोड़, जैतारण

विषय :- अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।

आपके भवन 'द' विंग्स ग्लोबल स्कूल, शिव नगर, आगेवा रोड़, जैतारण के स्थान का मौका निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्निशमन सुरक्षा हेतु बिल्डींग में लगे अग्निशमन यंत्र व्यवस्थित सही एवं चालू हालत में पाये गये अतः उरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबन्द करते हुए यह स्थाई अनापति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

1. अनापति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा।
2. एक वर्ष के पश्चात अनापति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करवाया जाना आवश्यक होगा अन्यथा अनापति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
3. बिल्डींग के समस्त स्टॉफ व सिक्योरिटी गार्ड को वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
4. बिल्डींग में लगे अग्निशमन यंत्रों को हमेशा चालू हालत में रखना होगा।
5. अग्निशमन यंत्रों को समयवधि में रिफिलिंग करवाने होंगे।
6. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24X7 घण्टे फॉयर प्रशिक्षण कर्मचारी रखना होंगे।
7. बिल्डींग का अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत (चालू, हालत) नहीं पाये जाने की स्थिति में यह अभिषंशा पत्र निरस्त माना जायेगा।
8. यदि राज्य सरकारी/परिषद् द्वारा भविष्य में कोई नियम/ उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
9. यह अनापति प्रमाण अग्नि सुरक्षा की दृष्टि में मान्य होगा।
10. बिल्डींग में पानी का टैंक ऊपर व नीचे बनाना होगा जिसका कनेक्शन उच्च हॉस पॉवर मोटर के साथ पर्याप्त पाईप लगाना होगा।
11. बिल्डींग में साईन(सिंगल) बोर्ड लगाने होंगे।
12. बिल्डींग में आने व जाने के लिये पार्किंग व्यवस्था रखनी होगी।
13. बिल्डींग में वाहनो को रखने के लिये पार्किंग व्यवस्था रखनी होगी।
14. बिल्डींग में व्यवस्थापक को आपातकालीन स्थिति में बिजली(जनरेटर) की रखनी होगी।
15. बिल्डींग में आपात सेवाओं के दूरभाष नम्बर व धूम्रपान निषेध का साईन बोर्ड लगाना होगा।
16. व्यवस्थापक द्वारा प्लांट के प्रस्तुत दस्तावेज एवं बिल्डींग के मानचित्र अनुसार अलावा और निर्माण कार्य करने से पूर्व राज्य सरकारी/परिषद् द्वारा/अग्निशमन अधिकारी से अनुमति लेनी होगी।
17. बिल्डींग के अंदर किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अतिज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
18. रोप लेडर व दो रस्सा बिल्डींग के सभी टावर कि ऊँचाई जितना हर समय बिल्डींग में रखना होगा।
19. भूमि व बिल्डींग संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
20. आवेदक को बिन्दु संख्या 1 से 20 तक पालना करनी होगी।

SHREE BANMATA SHIKSHAN  
SANSTHAN BALOONDA

  
PRESIDENT / SECRETARY / TREASURER

Signed by : Jitendra Vyas  
Issuing Authority : DC/EO/Commissioner  
Location : PALI, RAJASTHAN  
Date : 21/08/2025 13:17:14

अग्निशमन अधिकारी  
नगर निगम, पाली